



दौँड नगरपरिषद, दौँड जि.पुणे

दि.-०१/०९/२०२२

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

Provisional

वार्ड क्र.: ८ मालमत्ता क्र.: २७५८ भाग क्र.:

जुना गट क्र.: ७?

जुना मालमत्ता क्र.:

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मैं:

सुर्यकांत दत्तात्रेय हरहरे

मालमत्तेचे वर्णन:

दुकान

भोगवटदाराचे नाव:

दुकान / इमारतीचे नाव:

पता:

शिशक सोसायटी, दौँड

बिल क्र.

DND13866

राचे विवरा	संकलित कर रु	वृक्ष कर रु	अग्रिशमन कर रु	वि. स्वच्छता कर / उपयोगकर्ता शुल्क	शिक्षण उपकर रु	रो. ह. उपकर रु	शास्ती दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत	दुकान गाळा आडे रु	एकूण कर रु
वार्षिक मागणी रु							१२२		१२२
चालु मागणी रु	५९३	२५	१२	१२	२२०	५५			९१७
एकूण मागणी रु	५९३	२५	१२	१२	२२०	५५	१२२		१०३९

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती घेणाऱ्याची सही

दौँड नगरपरिषद, दौँड जि.पुणे

दि.-०१/०९/२०२२



महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

वार्ड क्र.: ८ मालमत्ता क्र.: २७५८ भाग क्र.:

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मैं:

सुर्यकांत दत्तात्रेय हरहरे

भोगवटदाराचे नाव:

दुकान / इमारतीचे नाव:

जुना गट क्र.: ७?

मालमत्तेचे वर्णन:

दुकान

पता:

शिशक सोसायटी, दौँड

बिल क्र.

DND13866

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ तुमारा नगर परिषदेवा कर अधिक वार्षिक्या सुरक्षातील अवधीन १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) महाराष्ट्र नगर परिषदा, औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये विल दिल्ल्यापासून १५ दिवसांचे आत विलासील संपूर्ण रक्कम भरणा केल्यास संकलित करात १ दक्का संकलित मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील (राजपत्र दि. २७०८/२०१० असाधारण भाग ४) मधील सुधारीत कलम १५०(१) अन्वये मागणी पुर्ण भरणा करण्यात याची त्यानंतर रक्कम भरण्यात २% प्रतिमाह शास्ती भरावी लागेल. ४) विहित सुदृढित उत्तरोक्त रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ (१) प्रतिमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. व कर रक्कम देंडासह भरणा करणे विवेदनकारक राहील. ५) जर विल दिल्ल्यापासून विहित सुदृढित मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) शास्ती ची रक्कम, आज, याची व इतर वाकी रक्कम विहित सुदृढीत भरावी नाही किंवा (ब) कलम १६९ च्या तरतीनुसारा अवाची किंवा याची करने व ती जाहिर लिलावाढोर विकुण वसुनीत पात्र असेल ६) सालमनेवावत मा. विलाधिकारी याची पुर्वे मास्तवेने नगर परिषदेवा नाममात्र रक्कमेत आपल्या अपली स्थावर मालमत्ता नामात येता येईल. ७) सरद देयक ३१/०९/२०२२ या अंत आहेत. त्यानुसार त्यानंतर कराची रक्कम अदा केली असल्यास, भरावी रक्कम सरद विलातुकास समायोजित केली जाईल. ८) सरद देयक हे सन २०२२-२३ मध्ये होणाऱ्या कर पुनर्निर्माणास (Survey) राहून देयात येत आहे. सर्वेक्षण बदलावुसार नवीन देयक देयात येईल. ९) टिप्प:- नगरपरिषद स्थायी निवेश २४ तुसर सन २०२२-२३ या अंतिक वर्षात याचा माझ्यामध्ये २५% वासेती आहे.									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


सन २०२२-२३ करीता मागणी

कराचे विवरण	थकीत मागणी रु	चालु मागणी		वालु वसुली (असल्यास)	सन २०२२-२३ ची एकूण देय मागणी रु
		प्रथम अर्धवार्षिकी मागणी रु	दुसरी अर्धवार्षिकी मागणी रु		
संकलित कर रु		२९७	२९६	३९६६	५९३
वृक्ष कर रु		१३	१२	१६७	२५
अग्रिशमन कर रु		६	६	८०	१२
वि. स्वच्छता कर रु / उपयोगकर्ता शुल्क		६	६	८०	१२
शिक्षण कर रु		११०	११०	१४५६	२२०
रो. ह. उपकर रु		२८	२७	३६४	५५
शास्ती दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत	१२२			४६१७	१२२
दुकान गाळा आडे रु					
एकूण कर रु	१२२	४६०	४५७	१०७३०	१०३९

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

विवरण	सप्टें-२२	ऑक्टो-२२	नोव्हे-२२	डिसे-२२	जाने-२३	फेब्रु-२३	मार्च-२३
थकीत देय रक्कम रु	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२
पहिली अर्धवार्षिकी मागणी रु	४६०	४६०	४६०	४६०	९२६	९४४	९६३
दुसरी अर्धवार्षिकी मागणी रु	४५७	४५७	४५७	४५७	१०४८	१०६६	१०८५
एकूण देय रक्कम रु	१०३९	१०३९	१०३९	१०३९			

झाडे लावा,
झाडे जगवा



स्वच्छ दौँड
सुंदर दौँड



कर विभाग प्रमुख
दौँड नगरपरिषद, दौँड जि.पुणे

[Signature]
मुख्याधिकारी